

श्रीकमल वाद. अभिलेख सं-05/2021

3

05-03-2022

- आदेश :-

यह अभिलेख वाद अभिलेख सं-05/2021 के क्रम में प्राप्त विभाजन के आदेश में राजस्व उप निरीक्षक एल.एस. 03-ए. अंगन निरीक्षक, वाराणसी विभागाध्यक्ष के जोर पर निरीक्षक के आदेश में संशोधन की गई है।

लिखित पत्र जारी की शर्त में ली गई है। साथ ही श्री एडवोकेट महोदय की ओर से भी लिखित पत्र प्राप्त है। साथ में अनुसूचित परामर्शदाता, जयपुर के राजस्व विभाग वाद सं- 02/1960-61 की आपाउपति संलग्न की गई है। जिसमें उक्त प्रतिवेदन भूमि श्री पुंड्र महोदय के नाम दर्ज है।

दिनांक 18-02-2022 को निरीक्षक, वाराणसी (विभागाध्यक्ष) के उपनिरीक्षक के एण्टर है कि श्री पुंड्र महोदय के नाम से ऑनरिड पंजी-2 है (मौजा-क.वाराणसी) आवा सं- I, पृष्ठ सं- 159 पर जमाबंदी कागज है तथा होलिंग सं- 107/14, रकबा - 2.10 एकड़ दर्ज है। पंजी-2 की आपाउपति भी अलग से दिया। आनलाइन पंजी-2 में भी जमाबंदी कागज प्राप्त। यदि यह जमाबंदी कागज है। इस अभिलेख वाद का उचित प्रतीक संकेत। अभिलेख वाद की कारवाई समाप्त की जाती है।

05-03-22
अंगन अभिलेख
वाराणसी (विभागाध्यक्ष)